दिनांक 04-10-2019

आज पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वादी विश्राम की ओर से प्रार्थना पत्र धारा 114 व आदेश 47 नियम 1 क, ग जा.दी. इस प्रकार प्रस्तुत किया है कि न्यायालय द्वारा प्रकरण में प्रार्थी को सुने बिना दिनांक 29-11-17 को निर्णय व डिक्री पारित की थी जिसकी प्रार्थी द्वारा कोई अपील अपीलीय न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गयी है। न्यायालय द्वारा दिनांक 24-5-17 की आदेशिका में प्रार्थी की व्यक्तिगत उपस्थिति दर्ज की गयी है जबकि प्रार्थी उपस्थित नहीं था। न्यायालय द्वारा पक्षकारों की उपस्थिति में विभाजन स्कीम तैयार करने के निर्देश दिये गये किन्तु विभाजन स्कीम पर प्रार्थी के हस्ताक्षर नहीं है। वादी को हिस्सानुसार 0.79 हैक्टयर भूमि आनी चाहिये किन्तु वादी/प्रार्थी को 0.04 हैक्टयर भूमि कम दी गयी है। इसलिये न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 29-11-17 पुर्नावलोकन योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पुनः विधि अनुसार सुनवाई कर न्यायोचित आदेश पारित करने की कृपा करें।

उपखण्ड अधिकारी
महवा (जिला दौसा)

...परगना मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिका...

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज हरी .... बनाम फतेह मोहम्मद वगैरा मु. सं.

वादीगण/अप्रार्थीगण की ओर से जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया है कि प्रकरण का निस्तारण विधिवत प्रक्रिया का पालन करते हुये नियमानुसार सही निर्णय पारित किया गया है। यदि वादी को कोई आपत्ति थी तो उसी समय न्यायालय मे प्रस्तुत करते। प्रार्थी द्वारा अन्य पक्षकारों को परेशान करने की नियत से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। यदि वादी विश्राम को विभाजन पर आपत्ति है तो अन्य खातेदार हरी वगैरा के हिस्सा में आयी आराजी से बदल सकता है। वादीगण के वकील द्वारा तो आंकलेखन के बाद ही वाद को अंतिम रूप से डिक्री किया गया है। वादी विश्राम की भूमि 0.04 में से 0.03 भूमि स्वयं विश्राम के खेत खसरा नम्बर 2661, 2663, 2664 में चली गयी है और मौके पर ग्रेवल रोड 14 वर्ष से बनी हुई है। प्रार्थी द्वारा झूठा व आधारहीन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान वकीलों की बहस सुनी जिसका मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। राज्य सरकार द्वारा चलाये गये अभियान न्याय आपके द्वारा शिविर कोट में वादी हरी सीताराम रामप्रसाद व प्रतिवादी फतेह मोहम्मद उपस्थित थे जिनकी ही उपस्थिति के रूप में आदेशिका दिनांक [illegible] पर हस्ताक्षर करवाये गये है। प्रार्थी विश्राम उपस्थित [illegible]

[illegible]

[illegible] अन्य [illegible] में अपने [illegible] विश्राम के हिस्सा की 3 [illegible] है कि प्रार्थी [illegible] उनके खेतों में चली गयी तथा उप सर ग्रेवल रोड बनी हुई है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कथन किया है कि विश्राम के हिस्सा में आयी जमीन को अन्य खातेदारों को दे दिया जावे तथा विश्राम को उसके हिस्सा की आराजी दे दी जावे किन्तु प्रार्थी द्वारा इन तथ्यों का अपनी बहस में कोई खण्डन नहीं किया है इससे यह स्पष्ट होता है कि विभाजन स्कीम हिस्सा व कब्जानुसार ही प्रस्तावित की गयी तथा न्यायालय हाजा द्वारा सही निर्णय पारित किया गया है जिसका पुर्नावलोकन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा न्यायालय द्वारा दिनांक 29-11-17 को निर्णय/डिक्री पारित किये गये जबकि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र 30-7-18 को प्रस्तुत किया गया है जो विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है जबकि उक्त निर्णय/डिक्री की जानकारी प्रार्थी के अभिभाषक को थी। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को अन्दर मियाद नहीं माना जा सकता।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है।

अतः प्रार्थी विश्राम का प्रार्थना पत्र धारा 114 व आदेश 47 नियम 1 क, ग जा.दी. स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर शमिल मूल वाद रहे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
महवा (जिला दौसा)